3/2/26

पत्र. पेश हुई। वादी अधिवक्ता व शेष प्रतिवादीगण की तलबी को पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये परंतु तामील हेतु कोई कम्पक प्रस्तुत वादी द्वारा नहीं किये गये। अतः कम्पक तामील के अभाव में दावा वादी non-compliance में खारिज किया जाता है।

पत्र फैसल शुमार हो, नकल में रूम हस्ब दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर